


न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क्र. सं. 82/15 फर्द अहकाम तारीख रजु 24.9.15

उनवान - मिस्त्री बनाम महाराजसिंह उग्रेश
दुरपुरा

दादा बाबू डिप्टिजन भांफ होल्लिगा इस्तकराकर
व स्यायी निबेबाजा

दादी की ओर से श्री रामन बोसी गुप्ता AM. ने दादा
बाबू नकारमा ब्योषणा खोतदारी, स्यायी निबेबाजा
पेश किया। दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।
दादा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगणों के बारे में
सम्मान से बलाव कर पत्रावली दिनांक 29.9.15
को पेश हो।


उप जिला कलक्टर
टोडाभीम (करोली)

25/10-18
22-9-15

29.9/15 दादी वकील उप. प्रतिवादी नं. 1 की ओर से श्री
हंसराम गुर्जर AM. ने वकालतनामा पेश किया।
प्रतिवादी नं. 2 ता. 9 के सम्मान बाद तामील प्राप्त नहीं
हुए हैं वस्तुतः तामील व जवाब पत्रावली दिनांक
6.10.15 को पेश हो।

6.10/15 ककुलाय उपस्थित। प्रतिवादी नं. 7, 8, 9 बाबजूद
सूचना उपस्थित नहीं की उनके खिलाफ एकपक्षीय
कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 1 की ओर से दफ
10 CPC पेश की है वस्तुतः जवाब व इतजा
तामिल प्रतिवादी नं. 2 ता. 6 दिनांक 14.10.15 को पेश हो।

मिस्त्रीदेवी वगैरे ० १/१५ महाराज सिंह का ०

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

दावा महाराज सिंह बनाम मिस्त्रीदेवी के खारिज हो
जोने से यह पत्रावली हमफिता से आलग होकर पेश
हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं थी कई बार आवाज
दिलाई गई। फिर भी वादी वकील एवं वादीगण
में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह दावा अदम
हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली के हल सुमार होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो। निष्पत्ती अति लहसीलदार का
मिजवाई जोव